कोविड -19 और शिक्षा में विकलांग बच्चों का बहिष्कार | चार राज्यों से निष्कर्ष

VIDH | Centre for Legal Policy

kotak karma

कार्यकारी सारांश

परिचय

कोविड -19 महामारी ने सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को और कमज़ोर कर दिया है। इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित विकलांग बच्चे हैं। सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने वाले एक कानूनी ढांचे के बावजूद, 5-19 साल के बीच के एक-चौथाई विकलांग बच्चे, और 5 साल के तीन-चौथाई बच्चे किसी भी औपचारिक स्कूली शिक्षा (यूनेस्को, 2019) में दाख़िल नहीं हैं। इसके अलावा, अन्य बच्चों की तुलना में, भारत में विकलांग बच्चों की सामाजिक-आर्थिक रूप से कमज़ोर घरों (कल्याणपुर, 2008) से होने की संभावना है, भारत में 72% विकलांग आबादी ग्रामीण क्षेत्रों (यूनेस्को, 2019) में रहती है। कई विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की पहुँच से बाहर होने का एक कारण गरीबी भी है।

इस अध्ययन से हम भारत में कोविड -19 महामारी के दौरान शिक्षा प्राप्त करने में विभिन्न विकलांग छात्र-छात्राओं की विशिष्ट चुनौतियों का दस्तावेजीकरण कर इस विषय पर उपलब्ध सीमित सामग्री में योगदान कर रहे हैं। हम महामारी के दौरान विकलांग बच्चों, उनके परिवारों और शिक्षक-शिक्षिकाओं के जीवन में अन्य व्यवधानों को भी दर्ज़ कर रहे हैं - आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी आघात, भोजन की उपलब्धता, चिकित्सा सेवाएँ और पुनर्वास - और शिक्षा की पहुंच पर इसका प्रभाव। इसके अतिरिक्त, विकलांगों के विषय पर काम कर रहे नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और सरकारी अधिकारियों के साथ परामर्श के माध्यम से - हम शिक्षा मंत्रालय (केंद्र और राज्य दोनों) और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) (केंद्र और राज्य दोनों) को उपयोगी सुझाव भी प्रदान कर रहे हैं। इनमें कोविड -19 महामारी में प्रतिक्रियाएँ, और आगे जाकर शिक्षा में सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियों और समावेशता को संबोधित करने के लिए सुझाव भी शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के चार राज्यों में 164 छात्र-छात्राओं और उनके माता-पिता / देखभाल करने वालों, 50 शिक्षक-शिक्षिकाओं, 10 नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और 5 सरकारी अधिकारियों के सैंपल के साथ टेलीफोन के माध्यम से दोनों गहन और अर्ध-संरचित साक्षात्कारों का आयोजन किया गया। यह साक्षात्कार सितंबर और अक्टूबर 2020 के बीच लिए गए थे।

मुख्य निष्कर्ष

<u>छात्र-छात्रा और देखभालकर्ता</u>

परिवारों को नौकरी/आय और आवास का नुकसान, ऋण में बढ़ोत्तरी, अपर्याप्त पोषण, और चिकित्सा सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थता जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा।.

- परिवारों ने बुनियादी सेवाओं के लिए सरकारी सहायता योजनाओं पर निर्भर होने के बारे में सूचित किया, और योजनाओं के अंतर्गत सेवाएँ लेने में बाधाओं के उदाहरण बताए, जिससे कई परिस्थितियों में घर में बच्चों के बीच संसाधनों के आवंटन पर असर पड़ा।
- देखभाल करने वालों ने घरेलू ज़िम्मेदारियों और तनाव के स्तर में बढ़ोत्तरी की सूचना दी, जिसका सीधा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर हो रहा है।
- बच्चों के कुशल क्षेम के निर्धारकों- स्वास्थ्य, पुनर्वास और दिनचर्या- तक पहुँच बाधित हो गई थी, यहाँ तक कि कुछ बच्चे मिर्गी जैसी बीमारियों का इलाज बंद करने के लिए मजबूर हो गए और कुछ बच्चों को उनकी नियमित चिकित्सा जांच और पुनर्वास थेरैपी छोड़नी पड़ी।
- सामान्य क्रम के बाधित होने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से बौद्धिक अशक्तता से ग्रस्त बच्चों पर।

महामारी के दौरान उपयोग किए जाने वाले शिक्षा के माध्यम और उपकरण कई कारणों से सुलभ नहीं थे

- उपयुक्त शिक्षण सामग्री- टीचर लर्निंग मटेरियल (टीएलएम) की अनुपलब्धता
- डिजिटल उपकरणों और हाई स्पीड इंटरनेट का पहुँच से बाहर होना, और माता-पिता और छात्र-छात्राओं के बीच तकनीकी जानकारी का अभाव
- अधिकांश लोग पाठ समझने और असाइनमेंट पूरा करने में असमर्थ थे, यहां तक कि वो लोग भी जो नियमित रूप से कक्षाओं का अधिगम करते थे
- दृश्य और श्रवण विकलांगता वाले छात्र-छात्राओं ने शिक्षण सामग्री (टीएलएम) की पहुंच में विशिष्ट चुनौतियों की सूचना दी।
- बौद्धिक रूप से अशक्त बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान, सामाजिक संपर्क और दिनचर्या की अधिक आवश्यकता होने के बारे में बताया। अनुभव मुख्य रूप से विकलांगता की श्रेणी और परिवारों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग-अलग थे।

कार्यकारी सारांश

<u>शिक्षक-शिक्षिकाएं</u>
शिक्षक-शिक्षिकाओं ने गैर-शिक्षण गतिविधियों में बढ़ोत्तरी, नौकरी की असुरक्षा और विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के डिजिटल साधनों के उपयोग में परेशानियों की सूचना दी।

- सरकारी शिक्षक-शिक्षिकाओं और सीएसओ के साथ समावेशी स्कूलों में नियोजित शिक्षकों ने गैर-शिक्षण गतिविधियों में वृद्धि की सूचना दी, विशेष रूप से कोविड -19 राहत कार्य में सहायता की। निजी मुख्यधारा के स्कूलों में शिक्षकों ने गैर-शिक्षण कार्यों में समान वृद्धि की सूचना नहीं दी।
- शिक्षक-शिक्षिकाओं को आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ा, जैसे कि वेतन भुगतान में देरी, और कॉन्ट्रैक्ट निलंबन और कॉन्ट्रैक्ट नवीकरण के बारे में अनिश्चितता।
- शिक्षक-शिक्षिकाओं को छात्र-छात्राओं की तरह ही निर्देश के ऑनलाइन तरीकों को समझने में समान कठिनाइयों का सामना कर रहे थे; उपकरणों और इंटरनेट की उपलब्धि, तकनीकी जानकारी; नई तकनीक को समझने में लगे प्रयास और समय इत्यादि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा |
- शिक्षक-शिक्षिकाएं माता-पिता के प्रयासों पर निर्भर थे, और विकलांग बच्चों और उनकी देखभाल करने वालों ने शिक्षा के डिजिटल तरीकों तक पहुंच की समस्याओं के मुद्दों को प्रतिध्वनित किया।
- डिजिटल मोड दो तरफा बातचीत के लिए सीमित अवसर प्रदान करते हैं। जबकि कुछ शिक्षक-शिक्षिकाओं ने बच्चों के घरों का दौरा करने की कोशिश की, कई को समुदायों या घरों में नहीं जाने दिया गया क्योंकि लोगों को वायरस के फ़ैलने की आशंका थी।
- शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए दिशानिर्देश या प्रशिक्षण (केरल के अलावा) को जारी नहीं किए गए थे।

सीएसओ ने महामारी की शुरुआत के बाद से विकलांग बच्चों की शिक्षा में लगे प्रयासों और संसाधन को हटाने और कम करने सूचना दी। इसी तरह, सरकारी अधिकारियों ने सुझाया कि भोजन और स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के आगे शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। सभी राज्यों में, हितधारकों ने छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं ने शिक्षा के डिजिटल साधनों की पहुंच और प्रभावकारिता और कमज़ोर घरों का समर्थन करने की आवश्यकता के बारे में चिंता व्यक्त की।

सुझाव

मुख्य हितधारकों - छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षक-शिक्षिकाओं, नागरिक समाज संगठनों और सरकारी अधिकारियों- के परामर्श और इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, हम शिक्षा की पहुँच, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी विभागों के भीतर समन्वय और सरकार और विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रहे नागरिक समाज संगठनों के बीच समन्वय पर उपयोगी सुझाव पेश कर रहे हैं।

हालांकि इस अध्ययन के निष्कर्ष चार राज्यों से लिए गए सैंपल के अनुभवों तक सीमित हैं, लेकिन ये सुझाव विकलांग बच्चों तक शिक्षा की पहुंच के मुद्दों को संबोधित करने में अन्य राज्यों को भी दिशा प्रदान कर सकते हैं। सुझावों में कोविड-19 महामारी से निपटने की प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं, साथ ही आगे के लिए में सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों और शिक्षा को सम्मिलित किए जाने के मुद्दों को भी संबोधित किया गया है।

सुझाव मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालयों (केंद्र और राज्य दोनों) और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) (दोनों केंद्र और राज्य) को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें विकलांगता आयुक्त, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभाग शामिल हैं।

कार्यकारी सारांश

1.विकलांग बच्चों की शिक्षा और समावेश के लिए प्रावधान

1.1 विकलांग बच्चों की उन ज़रूरतों की पहचान करें, जिनके लिए आमने-सामने बातचीत की आवश्यकता है, और गुणवत्ता से समझौता किए बिना, रिमोट रूप से क्या जारी रख सकते हैं

अधिनियम: धारा के अनुसार	सुझाव
• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) की धारा 16 (iii) (विकलांग बच्चों को उचित आवास प्रदान करने की शिक्षा संस्थानों की ज़िम्मेदारी पर) और • आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 17 (क) विकलांग बच्चों की पहचान करने के लिए नियमित सर्वेक्षण करने और उनकी ज़रूरतों और उनकी पूरी होने की स्थिति पर)	• अभिभावकों और विकलांग बच्चों के साथ परामर्श कर के पहुँच, गुणवत्ता और भागीदारी के लिए महामारी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले निर्देशों का आँकलन करें। बौद्धिक विकलांग बच्चों को विशेष स्कूलों और पुनर्वास केंद्रों की आवश्यकता हो सकती है। पुरानी बीमारी वाले बच्चे, कम इम्युनिटी, (संभवतः वायरस पकड़ने का अधिक जोखिम, और इससे अधिक गंभीर रूप से पीड़ित होने की सम्भावना) और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी स्कूलों में नहीं लौटना चाहिए।

1.2 निरंतर शिक्षा और पुनर्वास (जहां आवश्यक हो) सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में विकलांग बच्चों को वापस लाएं

अधिनियम: धारा के अनुसार	सुझाव
• निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम, 2009) की धारा 8 (च) (प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त सरकारों के कर्तव्यों पर)	• ड्रॉप-आउट की अधिक संभावना वाले बच्चों की पहचान करें और उन्हें ट्रैक करें, या महामारी के दौरान जिनकी शिक्षा बंद हो गई है: विकलांग बच्चे; छोटे भाई-बहन वाली लड़कियाँ; आर्थिक रूप से बहुत कमजोर परिवारों के बच्चे; प्रवासियों के बच्चे; आदिवासी समुदाय • कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बड़े विकलांग बच्चों के लिए हॉस्टल / आवासीय स्कूल फिर से खोलें
• आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 16 (viii) (विकलांग बच्चे और उनके अभिभावक/देखभालकर्ता को परिवहन सुविधा प्रदान करने पर)	• विकलांगता के कारण सीमित गतिविधि वाले बच्चों की परिवहन आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें
• आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 16 (ii) (भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं को सुलभ बनाने पर) • आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 17 (समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के विशिष्ट उपायों पर) • आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 8 (घ) (बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर) • आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में "स्कूल के लिए मानदंड और मानक" (बुनियादी सुविधाओं और टीएलएम को अलग-अलग ज़रूरतों के विकलांग बच्चों के लिए सुनिश्चित करना और सुलभ बनाना)	दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से स्कूलों और आंगनवाड़ियों की पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करें। • यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों में उचित टीएलएम हो जो दृश्य, श्रवण निःशक्तता वाले बच्चों के लिए सुलभ हो • उचित बुनियादी ढांचा स्थापित करें: गतिशीलता को प्रभावित करने वाली शारीरिक बीमारियों से पीड़ित और लोकोमोटर विकलांग बच्चों के लिए रैम्प ; सहायक उपकरण/साधित्र; हैंडरेल्स के साथ सुलभ शौचालय, व्हीलचेयर जैसे सहायक उपकरणों के लिए जगह

1.3 शिक्षा के डिजिटल तरीकों को समावेशी और सुलभ बनाना

अधिनियम: धारा के अनुसार	सुझाव
• स्कूल शिक्षा में आईसीटी के लिए 2012 की राष्ट्रीय नीति का अनुच्छेद 4.6 (विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए आईसीटी पर)	स्कूल शिक्षा में आईसीटी की राष्ट्रीय नीति, 2012 के प्रयोग और सामयिक संशोधन को सुनिश्चित करें • अधिक समावेशी, परस्पर संवादात्मक और कुशल होने के लिए संचार के कई तरीकों का उपयोग करें • छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच घर के दौरे, कॉल या मैसेजिंग एप्लिकेशन पर फॉलो-अप के माध्यम से दो-तरफ़ा बातचीत को सुलभ करें • व्यक्तिगत उपकरणों और हाई-स्पीड इंटरनेट पर निर्भरता को कम करें, जहां संभव हो टीएलएम की डिलीवरी करें, घर का दौरा जैसे निर्देश के मिश्रित तरीकों का उपयोग करें
• आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 17 (समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के उपायों पर) • आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 40 (विकलांगों के लिए सूचना संचार और प्रौद्योगिकी की पहुंच के लिए मानक स्थापित करने पर) • आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 42 (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर)	छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं के पहुँच के मुद्दों को संबोधित करें • विशेषज्ञों और अन्य राज्यों के परामर्श कर के अब तक इस्तेमाल किए गई टीएलएम का आँकलन करें। उदाहरण के लिए, टेलीविजन पाठों के लिए भाषा अनुवादकों की नियुक्ति करें। जहां आवश्यक हो, परामर्श से उपयोग के लिए मौजूदा मानकों को अपडेट करें। • बिजली कटौती, खराब इंटरनेट, ध्वनि की गुणवत्ता, आदि के कारण पहुंच के मुद्दों को कम करने के लिए लाइव कक्षाओं की बजाय पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो या टेलीविजन से कक्षाएँ प्रदान करें। • जहां संभव हो कमज़ोर परिवारों को उपकरण / इंटरनेट उपलब्ध करवाने की संभावना का आँकलन करें
• आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 17 (समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के उपायों पर) • आरटीई अधिनियम, 2009 की अनुसूची में "स्कूलों के लिए मानदंड और मानक"	छात्र-छात्राओं और शिक्षक-शिक्षिकाओं के पहुँच के मुद्दों को संबोधित करें • निर्देश के तरीके को मद्देनज़र न रखते हुए आरटीई अधिनियम के अनुसार साधित्र और सहायक उपकरण प्रदान करें • शिक्षा प्रौद्योगिकियों के उपयोग और विशिष्ट विकलांगता वाले बच्चों को पढ़ाने पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करें

1.4 निर्देश के तरीक़ों की परवाह किए बिना, विकलांग बच्चों की ज़रूरतों को समग्र रूप से संबोधित करें

अधिनियम: धारा के अनुसार	सुझाव
• आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 17 (ग) (उपयुक्त भाषाओं में विकलांगता श्रेणियों में बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों को नियोजित करने पर)	• मुख्यधारा के स्कूलों में विशेष शिक्षकों के लिए और कमज़ोर क्षेत्रों में विशेषज्ञों के लिए जगह निकालना
• आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 29 (स्कूलों के लिए बनाया गया पाठ्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान देता है, ये सुनिश्चित करने पर)	• पाठ्यक्रम पूरा करने के बजाय बच्चों को उनके स्तर पर पढ़ाने की दिशा में प्रासंगिक शैक्षणिक अभ्यास; बौद्धिक विकलांगता वाले विकलांग बच्चों पर तनाव कम करने के लिए अलग पाठ्यक्रम प्रदान किया जा सकता है • मानसिक, सामाजिक-भावनात्मक, मनोसामाजिक कल्याण सहित विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें। कक्षाओं में औपचारिक शिक्षा के साथ सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों को शामिल करना चाहिए

2. स्वास्थ्य, पोषण, अन्य सहायता योजनाओं की पहुँच में और शुरुआती कार्यक्रमों में व्यवधान कम करना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 24 (सामाजिक सुरक्षा पर) के अनुसार, राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे कमज़ोर परिवारों, उनकी विकलांगता, लिंग, आयु और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के परस्पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करें।

2.1 कम आय वाले परिवारों का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित प्रणालियों को मजबूत करें।

अधिनियम: धारा के अनुसार	सुझाव
• आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 16 (viii) (समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की ज़िम्मेदारी पर) • आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 25 (स्वास्थ्य सेवा पर)	• विकलांग बच्चों के लिए चिकित्सा देखभाल की पहुंच सुनिश्चित करें, विशेष रूप से उन विकलांगजनों के लिए जिन्हें चलने में दिक्कत है और उनकी देखभाल करने वालों के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, और दूरदराज के क्षेत्रों में उन लोगों के लिए भी, जैसे सार्वजनिक परिवहन, विशेष भत्ते (जैसे ई-पास) आदि प्रदान किए जाएँ
• आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 24 (3) (च) (निर्धारित आय सीमा से नीचे आने वाले विकलांगों के लिए सहायता और साधित्र, औषधियाँ और नैदानिक सेवाओं और धारात्मक और शल्यचिकित्सा के प्रावधान पर) • आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 25 (2) (झ) (प्राकृतिक आपदाओं और जोखिम की अन्य स्थितियों के समय स्वास्थ्य सेवा पर) • आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 25 (ञ) (जीवन रक्षक आपातकालीन उपचार और प्रक्रियाओं पर आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं पर)	• पुरानी बीमारियों से पीड़ित बच्चों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली और आवश्यक दवाओं का संग्रह करें और स्थानीय भण्डार की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए, मिर्गी से ग्रस्त बच्चों के लिए दवा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Executive Summary

• आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 27 (3) (उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों को नीतियों का निर्माण करते समय, विकलाँगों के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करना चाहिए)	सेवाएँ प्रदान करने में सुधार के लिए • योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सरकार और नागरिक समाज संगठनों के बीच समन्वय को व्यवस्थित करना
• आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 17 (सम्मिलित शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के उपायों पर)	सेवाएँ प्रदान करने में सुधार के लिए • समान पात्रता मानदंड वाली योजनाओं के लिए एक सामान्य आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से समर्थन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) लागत को कम करना

Kotak Mahindra Bank Limited supports the Kotak-Vidhi Inclusive Education Programme in furtherance of its CSR Programme. This report has been authored by Vidhi Centre for Legal Policy, under this Programme.